रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274279
CG-DL-E-08072026-274279

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2026/आषाढ 11, 1948
No. 493] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2026/ASHADHA 11, 1948

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई , 2026

सा.का.नि. 551(अ) .— केंद्रीय सरकार, पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का नाम पशु-अतिचार नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) 'अधिकृत अधिकारी' से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण या भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड का वह अधिकारी अभिप्रेत है जो अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबद्ध है;

(ग) 'बोर्ड' से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) 'प्ररूप' से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और

(ङ) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. शिकायत करने की शक्ति - धारा **20** में किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की शिकायत किसी पीड़ित व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि या किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप-**I** में न्याय निर्णयन अधिकारी को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकती है।

4. जांच करने का तरीका - (**1**) अधिनियम के अध्याय **3** और **5** में किसी बात के होते हुए भी, न्यायनिर्णयन अधिकारी, नियम **3** के अधीन प्राप्त किसी शिकायत पर न्याय निर्णयन से पहले, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध ऐसी शिकायत की गई है, प्रपत्र-**2** में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उससे नोटिस की तामील की तारीख से अधिकतम तीस दिनों के भीतर कारण बताने को कहा जाएगा कि उसके विरुद्ध जांच क्यों नहीं की जाए।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी को शिकायत के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने का अधिकार होगा, जो उसकी राय में जांच के लिए उपयोगी या सुसंगत हो।

(3) उप-नियम (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस में,-

(क) कथित रूप से किए गए उल्लंघन तथा अधिनियम की कथित उल्लंघन की गई धारा का उल्लेख होगा; और

(ख) शिकायत की एक प्रति संलग्न होगी।

(4) न्यायनिर्णयन अधिकारी लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उप-नियम (1) के अधीन निर्दिष्ट उत्तर देने की अवधि को अधिकतम पंद्रह दिनों की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है, यदि वह व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया गया है, निर्णयनिर्णयन अधिकारी को संतोषजनक उत्तर दे कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर नोटिस का अनुपालन न करने का पर्याप्त कारण था।

(5) इन नियमों के अधीन जारी किया गया नोटिस निम्नलिखित में से किसी भी रीति से तामील किया जाएगा:

(i) इसे उस व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपकर या देकर; या

(ii) इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या त्वरित डाक द्वारा उस व्यक्ति के निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर भेजकर जहाँ वह कारबार करता है या अंतिम बार कारबार किया था; या

(iii) यदि इसे खंड (i) या (ii) के अधीन निर्दिष्ट रीति से तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे उस परिसर के बाहरी द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपकाकर जिसमें वह व्यक्ति रहता है या अंतिम बार रहता था या कारबार करता है या अंतिम बार कारबार किया था।

(6) उप-नियम (1) के अधीन जारी नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध ऐसी शिकायत की गई है, नोटिस में निर्धारित तारीख पर सुनवाई का नोटिस जारी करेगा, जिसमें उस व्यक्ति को स्वयं या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से तथा शिकायतकर्ता या अधिकृत अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।

(7) यदि उप-नियम (1) के अधीन जिस व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है, वह ऐसे नोटिस के अनुसरण में निर्धारित समय अवधि के भीतर उत्तर देने में विफल रहता है, इंकार करता है या लापरवाही बरतता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी इस प्रकार जांच पूरी करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए, उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में सुनवाई कर सकता है।

(8) यदि जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की गई है, वह उप-नियम (6) के अधीन प्राप्त उत्तर में उल्लंघन स्वीकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी इस स्वीकारोक्ति को अभिलिखित करेगा और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आदेश द्वारा शास्ति लगाएगा या प्रतिकर, व्यय या प्रभार, जैसा भी मामला हो, अधिनिर्णित करेगा।

(9) यदि जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की गई है, वह उल्लंघन स्वीकार नहीं करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर, संबंधित व्यक्ति या उसके अधिकृत विधिक प्रतिनिधि को किए गए उल्लंघन और उससे संबंधित अधिनियम के उपबंधों के बारे में स्पष्ट करेगा।

(10) सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर, ऐसे व्यक्ति, शिकायतकर्ता या अधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे अन्य मुद्दों पर लिखित प्रस्तुति फाइल करने या अपने-अपने दावों के समर्थन में लिखित संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सकेगा।

(11) उल्लंघन करने के आरोपी व्यक्ति, शिकायतकर्ता या अधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपने लिखित उत्तर के अतिरिक्त गवाहों या दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत कर सकता है, जिनकी जांच वो न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा करवाना चाहते हैं।

(12) जहां न्यायनिर्णयन अधिकारी, लिखित प्रस्तुतियों, गवाहों या दस्तावेजों, जैसा भी मामला हो, की जांच करने और उचित समझे जाने वाले तरीके से पूछताछ करने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, तो वह लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए एक आदेश द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित या प्रतिकर, व्यय या प्रभार, जैसा भी मामला हो, अधिनिर्णित करेगा, जिसमें शास्ति जमा करने की समय सीमा निर्दिष्ट होगी।

(13) जहां न्यायनिर्णयन अधिकारी, लिखित प्रस्तुतियों, गवाहों या दस्तावेजों, जैसा भी मामला हो, की जांच करने और उचित समझे जाने वाले तरीके से पूछताछ करने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा आरोप हटा देगा और शिकायत खारिज कर देगा।

(14) यदि उप-नियम (12) के अधीन शास्ति अधिरोपित किए गए व्यक्ति धारा 27ग के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर शास्ति का भुगतान करने में विफल रहता है, तो भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड उक्त शास्ति की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(15) इस नियम के अधीन दिए गए आदेश की एक प्रति, जिस पर न्यायनिर्णयन अधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर होंगे, शिकायतकर्ता या अधिकृत अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

5. निर्णय की समय सीमा.- न्यायनिर्णयन अधिकारी यथाशीघ्र कार्यवाही पूरी करेगा और किसी भी मामले में शिकायत प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।

6. समय विस्तार.- न्यायनिर्णयन अधिकारी, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए, यदि विलंब का कोई उचित कारण हो, तो नियम 5 के अधीन निर्दिष्ट किसी भी अवधि को अधिकतम तीस दिनों तक, जितना वह उचित समझे, बढ़ा सकता है।

7. अपील का प्ररूप और रीति.- (1) नियम 4 के उप-नियम (12) या उप-नियम (13) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील प्ररूप-3 में फाइल की जा सकती है।

(2) अपील के साथ न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की प्रति, अपील किए गए तथ्यों का विवरण और अपील के आधार संलग्न होने चाहिए।

(3) अपीलकर्ता स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपील फाइल कर सकता है।

(4) अपील उस दिन से फाइल मानी जाएगी जिस दिन वह अपीलीय प्राधिकारी को प्राप्त होती है।

(5) अपीलीय प्राधिकारी न्यायनिर्णयन अधिकारी से शिकायत और जांच से संबंधित अभिलेख मंगवाएगा।

(6) यदि जांच करने पर अपील में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को त्रुटि की सूचना देगा और उसे पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर त्रुटि सुधारने का अवसर देगा और यदि अपीलकर्ता निर्धारित समय के भीतर त्रुटि सुधारने में विफल रहता है, तो अपीलीय प्राधिकारी लिखित रूप में कारण बताते हुए आदेश द्वारा त्रुटिपूर्ण अपील को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है और त्रुटि सुधारने के लिए निर्धारित समय से सात दिनों के भीतर अपीलकर्ता को इस अस्वीकृति की सूचना देगा।

(7) यदि जांच करने पर अपील सही पाई जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी उसे स्वीकार करेगा।

(8) अपील स्वीकार होने पर, अपीलीय प्राधिकारी प्रत्यर्थी को अपील की एक प्रति सहित नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे उस अवधि में, जो तीस दिन से अधिक नहीं होगी जैसा कि वह उक्त नोटिस में निर्दिष्ट करे, अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

(9) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस नियम के अधीन यह नोटिस जारी किया जाएगा;

(i) इसे प्रत्यर्थी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपकर या देकर; या

(ii) इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या त्वरित डाक द्वारा प्रत्यर्थी के निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर भेजकर जहां वह कारबार करता है या अंतिम बार कारबार किया था; अथवा

(iii) यदि इसे खंड (i) या (ii) में निर्दिष्ट रीति से तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे उस परिसर के बाहरी द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपकाकर जहां प्रत्यर्थी रहता है या अंतिम बार रहता था या कारबार करता है या अंतिम बार कारबार किया था

(10) अपीलीय प्राधिकारी सभी पक्षों को व्यक्तिगत रूप से या उनके अधिकृत विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सुनवाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या अन्य माध्यमों से भी आयोजित की जा सकती है।

(11) अपीलीय प्राधिकारी, न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की पुष्टि, उसमें संशोधन या उसे निरस्त करेगा, जैसा भी मामला हो और तदनुसार आदेश देगा।

(12) यदि अपीलीय प्राधिकारी शास्ति लगाने के संबंध में न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की पुष्टि करता है और शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति धारा 27ग के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर इसका भुगतान नहीं करता है, तो भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड उक्त शास्ति की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(13) इस नियम के अधीन दिए गए आदेश की एक प्रति, जिस पर अपीलीय प्राधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर हों, अपीलकर्ता या अधिकृत अधिकारी को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

8. **शास्ति की रकम का उपयोग।**- (1) धारा 28 के उपबंधों के अनुसार भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड के कोष में जमा की गई शास्ति की रकम का उपयोग राज्य बोर्डों, स्थानीय प्राधिकरणों और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने वाली समितियों के माध्यम से निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:-

(क) पशु बाड़ों की स्थापना, नवीनीकरण और रखरखाव;

(ख) परिबद्ध पशुओं के लिए आहार, पशु चिकित्सा देखभाल और आश्रय प्रदान करना;

(ग) पशु के कल्याणकारी क्रियाकलापों में संलग्न कर्मियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;

(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के बारे में जन जागरूकता; और

(ङ) पशु कल्याण से संबंधित ऐसे अन्य उद्देश्य जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

(2) बोर्ड, शास्ति के माध्यम से प्राप्त रकम के लिए अलग खाता रखेगा।

प्ररूप-I

(नियम 3 देखें)

पशु-अतिचार अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की शिकायत

सेवा में

न्यायनिर्णयन अधिकारी,
(उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. शिकायतकर्ता का विवरण:
   (क) नाम:
   (ख) पिता या माता का नाम:
   (ग) पिन कोड नंबर सहित पता:
   (घ) संपर्क संख्या:
   (ङ) ई-मेल:
2. अभिकथित उल्लंघनकर्ता का विवरण:

   (क) नाम:

   (ख) पिता या माता का नाम:

   (ग) पिन कोड नंबर सहित पता:

   (घ) अभिकथित उल्लंघन की तारीख, समय, स्थान और प्रकृति:

   (ङ) अधिनियम की धारा या उपबंध जिसका अभिकथित उल्लंघन हुआ है:

   (च) उल्लंघन का विवरण, जिसमें तात्विक विशिष्टियां दी गई हों:

   (छ) कथन के समर्थन में साक्ष्य, जिसमें राजस्व अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं:

   (ज) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कोई भी मुआवज़ा या शुल्क:

मैं ..... (शिकायतकर्ता) एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं/करती हूं कि इसमें बताए गए तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं तथा कुछ भी छिपा हुआ अथवा दुर्व्यवदेशित नहीं है।

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर
(शिकायतकर्ता का नाम)

प्ररूप–2

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखें]

पशु-अतिचार अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए कारण बताओं नोटिस

सेवा में

विषय: पशु-अतिचार अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए कारण बताओं नोटिस।

महोदय/महोदया,

शिकायतकर्ता से तारीख _____ को प्राप्त शिकायत (प्रति संलग्न) के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा --------- ---------- के अधीन उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

2. उपर्युक्त उल्लंघन उक्त अधिनियम के अधीन शास्ति या प्रतिकर या प्रभार या व्यय के लिए दायी है।

3. अतः, आपको इस नोटिस की तामील होने के ------ दिनों के भीतर कारण बताना होगा कि उक्त अधिनियम के अधीन आपके विरुद्ध शास्ति या प्रतिकर या व्यय या प्रभार लगाने हेतु जांच क्यों न की जाए।

4. यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

न्यायनिर्णयन अधिकारी

(कार्यालय का नाम और मुहर)

प्ररूप–3

(नियम 7 का उप-नियम (1) देखें)

पशु-अतिचार अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपील का प्ररूप

सेवा में

अपीलीय प्राधिकारी,

(जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट)

……

……

1. अपीलकर्ता का विवरण:
   (क) नाम:
   (ख) पिता या माता का नाम:
   (ग) पिन कोड सहित पता:
   (घ) संपर्क संख्या:
   (ङ) ई-मेल:
2. उक्त अधिनियम के वे उपबंध जिनके संबंध में न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है:
3. उल्लंघन का विवरण जिसके आधार पर न्यायनिर्णयन अधिकारी ने आदेश दिया है:
4. अपील के आधार:
5. प्रत्यर्थी का विवरण:
   (क) नाम:
   (ख) पिता या माता का नाम:
   (ग) पिन कोड सहित पता:
   (घ) संपर्क संख्या:
   (ङ) ई-मेल:
6. तथ्यों का विवरण:
7. न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की तारीख:
8. मांगा गया अनुतोष:
9. क्या अपील अधिनियम की धारा 27 ख में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर फाइल की गई है – हां या नहीं
10. क्या अपील किसी अन्य न्यायालय में लंबित है? यदि हाँ - तो विवरण दें _____

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर बताए गए तथ्य मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।

संलग्नकों की सूची:
(i) उस आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई है।
(ii) उन दस्तावेजों की प्रतियां जिन पर अपीलकर्ता को विश्वास है और जिनका उल्लेख अपील में किया गया है।

अपीलकर्ता के तारीख सहित हस्ताक्षर:
अपीलकर्ता का नाम:

[फा. सं. V-12/6/2023-ANLM_DADF]

डॉ. मुथुकुमारसामी बी.,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

G.S.R. 551(E).— In exercise of the powers conferred by section 32 of the Cattle-trespass Act, 1871 (1of 1871), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Cattle-trespass Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Cattle-trespass Act, 1871(1 of 1871);

(b) "authorised officer" means an officer of the Central Government, the State Government, the Union territory administration, the local authority or the Animal Welfare Board of India associated with the implementation of the provisions of the Act;

(c) "Board" means the Animal Welfare Board of India constituted under sub-section (1) of section 4 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);

(d) "Form" means the Form annexed to these rules; and

(e) "section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Power to make complaint. -Notwithstanding anything contained in section 20, a complaint for contravention of the provisions of the Act may be made to the adjudicating officer in Form-I by any aggrieved person or his authorised representative or by any authorised officer in writing or through electronic means.

4. Manner of holding inquiry. -(1)Notwithstanding anything contained in Chapters III and V of the Act, the adjudicating officer, before adjudicating upon any complaint received under rule 3, shall issue a notice in Form-II, within a period of fifteen days from the date of receipt of the complaint, to the person against whom such complaint has been made, requiring him to show cause, within a maximum period of thirty days from the date of service of the same, as to why an inquiry should not be conducted against him.

(2) The adjudicating officer shall have the power to enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the complaint to give evidence or to produce any document or report which, in his opinion, may be useful or relevant to the inquiry.

(3) A notice issued under sub-rule (1) shall,-

(a) specify the contravention alleged to be committed and the provision of the Act alleged to be contravened; and

(b) be accompanied by a copy of the complaint.

(4) The adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of reply specified under sub-rule(1) by a further period of not exceeding fifteen days, if the person to whom a notice is issued satisfies the adjudicating officer that he had sufficient cause for not complying with the notice within such period.

(5) A notice issued under these rules shall be served, in any of the following manner,-

(i) by delivering or tendering it to the person or his authorised representative; or

(ii) by sending it to the person through electronic means or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carries on business or last carried on business; or

(iii) if it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or last resided or carries on business or last carried on business.

(6) On receipt of the reply to the notice issued under sub-rule (1), the adjudicating officer shall issue a notice of hearing on such date as may be fixed in the notice, to the person against whom such complaint has been made, requiring the appearance of that person personally or through a legal representative duly authorised by him and the complainant or the authorised officer, as the case maybe.

(7) Where the person against whom the notice has been issued under sub-rule (1), fails or refuses or neglects to reply within the specified period of time pursuant to such notice, the adjudicating officer may proceed with the hearing in the absence of such person after recording the reasons for completion of inquiry in such manner.

(8) Where the person against whom a complaint has been made admit the contravention in the reply received under sub- rule (6), the adjudicating officer shall record the admission and by order impose penalty or award the compensation, expenses or charges, as the case may be, in accordance with the provisions of the Act.

(9) Where the person against whom a complaint has been made does not admit the contravention, the adjudicating officer shall, on the date fixed for hearing, explain to the person proceeded against or his authorised legal representative, the contravention made and the provisions of the Act relating thereto.

(10) On the date fixed for hearing, after affording a reasonable opportunity of being heard to such person, the complainant or the authorised officer, as the case may be, the adjudicating officer may grant an opportunity to file written submission on such further issues, as may arise or to submit a written briefs in support of their respective claims.

(11) The person alleged to have committed the contravention, the complainant or the authorised officer, as the case may be, may submit a list of witnesses or documents in addition to their written reply, which they want to be examined by the adjudicating officer.

(12) Where the adjudicating officer, after examining the written submissions, witnesses or documents, as the case may be, and making inquiry in such manner as he may deem fit, is satisfied that such person has contravened any provision of the Act, he shall, by an order for reasons to be recorded in writing impose penalty or award the compensation, expenses or charges, as the case may be, in accordance with the provisions of the Act, specifying therein the time limit for depositing the penalty.

(13) Where the adjudicating officer, after examining the written submissions, witnesses or documents, as the case may be, and making inquiry in such manner as he may deem fit, is satisfied that such person has not contravened any provision of the Act, he shall drop the charges and dismiss the complaint by an order in writing.

(14) Where the person on whom penalty has been imposed under sub-rule (12) fails to pay the same within the period specified under section 27C, the Animal Welfare Board of India shall take necessary action for recovery of said penalty.

(15) A copy of the order made under this rule duly signed by the adjudicating officer shall be supplied free of cost to the person against whom the complaint was made, the complainant or the authorised officer, as the case may be.

5. Adjudication time-limit.-The adjudicating officer shall complete the proceedings as expeditiously as possible and in any case within a period of six months from the date of receipt of the complaint.

6. Extension of time.- The adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay, extend any period specified under rule 5till such time, not exceeding thirty days, as he considers reasonable.

7. Form and manner of appeal. - (1) An appeal against the order of the adjudicating officer made under sub-rule (12) or sub-rule (13) of rule 4 may be filed in Form-III.

(2) The appeal shall be accompanied by a copy of the order of adjudicating officer, statement of facts appealed against and grounds for appeal.

(3) The appeal may be filed by the appellant in person or by his authorised representative in writing or through electronic means.

(4) The appeal shall be deemed to have been filed on the day it is received by the appellate authority.

(5) The appellate authority shall call for the records relating to complaint and inquiry from the adjudicating officer.

(6) If on scrutiny, the appeal is found to be defective, the appellate authority shall intimate the appellant about the defect and allow him to rectify the defect within a period of fifteen days and if the appellant fails to rectify such defect within the specified time limit, the appellate authority may by order and for reasons to be recorded in writing, refuse to register defective appeal and communicate such refusal to the appellant within a period of seven days from the last day of time specified for rectification.

(7) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted by the appellate authority.

(8) On admission of the appeal, the appellate authority shall serve a notice along with a copy of appeal to the respondent requiring him to submit his reply thereto, within such period, not exceeding thirty days, as may be specified by him in the said notice.

(9) The notice shall be served under this rule by the appellate authority;-

(i) by delivering or tendering it to the respondent or his authorised representative; or

(ii) by sending it to the respondent through electronic means or by speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carries on business or last carried on business; or

(iii) if it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which respondent resides or last resided or carries on business or last carried on business.

(10) The appellate authority shall provide a reasonable opportunity of hearing to all parties, either in person or through their authorised legal representatives and such hearing may be conducted through electronic means or otherwise.

(11) The appellate authority, shall confirm, vary or set aside the order of the adjudicating officer, as the case may be, and make an order accordingly.

(12) Where the appellate authority confirms the order of adjudicating officer regarding imposition of penalty and the person liable to pay the same, does not pay it within the period specified under section 27C, the Animal Welfare Board of India shall take necessary action for the recovery of said penalty.

(13) A copy of the order made under this rule duly signed by the appellate authority shall be supplied free of cost to the person against whom the appeal was made, the appellant or the authorised officer, as the case may be.

8. Utilisation of penalty amount.-(1)The penalty amount credited to the Fund of the Animal Welfare Board of India in accordance with the provisions of section 28 of the Act, shall be utilised through State Boards, local authorities and Societies for Prevention of Cruelty to Animals for,-

(a) establishment, renovation and maintenance of pounds;
(b) providing feed, veterinary care and shelter for impounded cattle;
(c) training and capacity building of personnel involved in animal welfare activities;
(d) public awareness about prevention of cruelty to animals; and
(e) such other purposes connected with animal welfare, as may be notified by the Central Government.

(2) The Board shall maintain a separate account of the amount realised through penalties.

FORM-I
[*See rule 3*]

Complaint for Contravention of Provisions of the Cattle–trespass Act.

To

The Adjudicating Officer,
(Sub-Divisional Magistrate or Executive Magistrate)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Particulars of complainant:
   (a) Name:
   (b) Father's or Mother's name:
   (c) Address including postal index number:
   (d) Contact number:
   (e) Email address:
2. Particulars of alleged contravener:
   (a) Name:
   (b) Father's or Mother's name:
   (c) Address including postal index number:
   (d)Date, time, place and nature of alleged contravention:
   (e) Section or provision of the Act alleged to have been contravened:
   (f) Statement of contravention setting out material particulars:
   (g) Evidence in support of the statement including revenue record or electronic record:
   (h) Any compensation or charges incurred in accordance with the provisions of the Act:

I……..... (complainant) hereby declare that the facts stated herein are correct to the best of my knowledge and belief and that nothing material has been concealed or misrepresented.

Signature of complainant
(Name of complainant)

Form –II
[*See sub- rule (1) of rule 4*]

Show cause Notice for Contravention of Provisions of the Cattle-trespass Act

To

Subject: Show cause notice for contravention of provisions of the Cattle-trespass Act, 1871.

Sir or Madam,

As per the complaint dated received from complainant _____(copy enclosed), contravention has been alleged to be made under section ---------- of the said Act.

2. The above contravention is liable for penalty or compensation or charges or expenses under the said Act.

3. Therefore, you are required to show cause within a period of ------ days of service of this notice, as to why an inquiry should not be conducted against you under the said Act, for imposition of penalty award of compensation or expenses or charges.

4. In case no reply is received within the specified period, further action shall be taken accordingly in accordance with the provision of the Act.

Adjudicating Officer
(Name and seal of the office)

Form –III
[*See sub-rule (1) of rule 7*]

Form of Appeal under the Provisions of the Cattle-trespass Act.

To,

The Appellate Authority,
(District Magistrate or Additional District Magistrate)

……

……

1. Particulars of appellant:
   (a) Name:
   (b) Father's or Mother's name:
   (c) Address including postal index number:
   (d) Contact number :
   (e) Email address :

2. Provisions of the said Act regarding which the order is made by the Adjudicating Officer:

3. Statement of contravention on which the adjudicating officer made the Order:

4. Grounds of appeal:

5. Details of respondent:
   (a) Name:
   (b) Father's or Mother's name:
   (c) Address including postal index number:
   (d) Contact number :
   (e) Email address :

6. Statement of facts :

7. Date of Order of the adjudicating officer :

8. Relief claimed:

9. Whether appeal is filed within the time referred to in section 27 B of the said Act- YES or NO:

10. Whether appeal is pending in any other court. If Yes – Give details _____

I hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my knowledge, information and belief.

List of enclosures:

(i) Copy of the order against which the appeal is filed.

(ii) Copies of the documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal.

Signature of appellant with date:

Name of appellant:

[F. No. V-12/6/2023-Anlm-Dadf]

Dr. MUTHUKUMARASAMY B., Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.